

Course of DAST-2, Path 9

ADP-303242026

05-08-26

जीवाणुजन पदार्थिकारी अवकाश में हैं।
वाड डिपेंड 18.08.26 को छुटकारा देते।
बहुमुखी आवेदक को प्रदान की गई
अंतरिम सुरक्षा आदेश अगली तिथि
तक विस्तारित किया जाता है।
सय

M. DAST-2

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, PATNA

Anticipatory Bail Petition No.3032 of 2026.

1. Rabindra Prasad

2. Chanda Devi

..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar

ORDER SHEET

02. 10-07-2026

Heard.

Learned counsel for the petitioners submits that the petitioners are innocent and has been falsely implicated in this case. He further submits that petitioner no.1 is a government servant posted as Inspector in wireless police. Moreover, the petitioners have clean criminal antecedents.

Considering above, in the meantime, **interim protection** from arrest is granted to the above named accused-petitioners **till next date** in connection with **Complaint Case No. 10841(C) of 2025** subject to the petitioners diligently complying with the requirement of Section 482(2) of the BNSS, 2023.

Office is directed to **call for TCR** from the concerned Court.

Let this anticipatory bail petition be **transferred** to the court of learned District & Additional Sessions Judge-Ist, Patna for hearing and disposal.

Put up this case on 20.07.2026.

(Dictated)

(Avinash Sharma)
I/c Sessions Judge, Patna

Date of Order	10-07-2026
Date of Reserving Order	NA
Uploading Date	10-07-2026
Uploaded by	Rahul-

12.07.2026
A.S.J. Patna

10.07.26 यह मामला जिला न्यायालय के
द्वारा न्यायाधीश के अग्रिम पास हुआ है। कानून
की प्रक्रिया में यह कृपया न्यायालय में
पेश किया जाये।

24
A.S.J.

Court of JAST-2, Patna

ABP- 3034/2026

07-26

उत्तर पर आवेदक के विरुद्ध अभिलेखा
एवं APP उपस्थित हुए। आवेदक की
ओर से दस्तावेज की खोज दायित्व
किया गया। वांछित PCR No 350/26
में संलग्न है। कार्यलय उसी अभिलेख
के साथ उत्तर करें। वाद दिनांक
29-07-26 को पुनर्वाह हेतु। तदनुसार
आवेदक को न्याय की गई कंठस्थ
सुरक्षा आदेश दिनांक ¹⁰⁻⁷⁻²⁶ ~~29-07-26~~ को
अगली विधि तक विस्तारित किया
जाता है।

स/

JAST-2

29-07-26

उत्तर पर आवेदक के विरुद्ध अभिलेखा
उपस्थित हुए। परिवारी की ओर से कार्य
शक्ति पर दायित्व किया गया। आवेदक
के विरुद्ध अभिलेखा द्वारा कुछ दस्तावेज
दायित्व करने हेतु समय का निर्धारण किए,
निर्देश उत्तर पक्षों की सहमति से स्वीकृत किया
गया। तदनुसार आवेदक को न्याय की गई
अंतरिम सुरक्षा आदेश को अगली विधि तक
विस्तारित किया जाता है। वाद दिनांक 05-08-26
को पुनर्वाह हेतु।

स/

JAST-2